न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दर्ज तारीख	तारीख फैसला
[illegible]/2022	[illegible]-2022	11.11.2022

[illegible] :-

01. [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
02. [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
03. [illegible] पत्नी मोतीलाल पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
04. सुनील पुत्र मोतीलाल पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
05. [illegible] पत्नी सुनील पुत्र मोतीलाल पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
06. [illegible]
07. [illegible] पुत्र सुनील नाबालिगान जरिये संरक्षक माता [illegible] देवी
08. [illegible] पत्नी सुनील पुत्र मोतीलाल पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
09. [illegible]
10. [illegible] पुत्र सुनील नाबालिगान जरिये संरक्षक माता [illegible]
11. [illegible] पत्नी [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
12. [illegible]
13. [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible] पुत्र अमरसिंह पुत्र टेकू
17. [illegible]
18. [illegible] पुत्र [illegible] पुत्र टेकू
19. [illegible] पुत्र [illegible] जाति अहीर निवासीगण ग्राम [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

—— : वादीगण

बनाम

01. अमरसिंह पुत्र [illegible]
02. [illegible] पुत्र उमराव
03. [illegible] पुत्र उमराव जाति अहीर निवासीगण ग्राम [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
04. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर
05. राज्य सरकार जरिये [illegible] भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील तिजारा जिला अलवर
06. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर
07. प्रबन्धक, [illegible] शाखा तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

—— : प्रतिवादीगण

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.15 है0 यानि 12 बिस्वा भूमि जिसके साबिक खसरा नम्बर 304 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। जो कि इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।

साबिक आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 12 बिस्वा प्रतिवादीगण के पिता प्रभुदयाल व उमरावसिंह पुत्रान हेतराम की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है। जिन्होने उक्त साबिक भूमि को बाकब्जा, बाप्तिफल हम वादीगण बुजुर्गान बलबीर, अमरसिंह, हरलाल पुत्र टेकु व मिन वादी संख्या 19 सुखराम प्रत्येक 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 समान भाग में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजि. बयनामा दिनांक 19.03.1964 को बेचान कर दिया था, जो बयनामा उपपंजीयक कार्यालय तिजारा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 18 पृष्ठ संख्या 45, 46 डीड नम्बर 181 पर पंजीबद्व हुआ है। वक्त खरीद से ही वादीगण बुर्जुगान बलबीर, अमरसिंह, हरलाल पुत्र टेकु व मिन वादी संख्या 19 सुखराम काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है तथा बुर्जुगान बलबीर, अमरसिंह, हरलाल की मृत्यु उपरान्त हम वादीगण, मिन वादी संख्या 19 के साथ विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर हम वादीगण समस्त का वास्तविक कब्जा है। वादीगण आराजी के सद्‌भावी केता है। आराजी खरीद के बाद हम वादीगण के बुर्जुगान व वादी संख्या 19 ने असल बयनामा वास्ते नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार कराने हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था। हल्का पटवारी ने नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करने का आश्वासन दिया। वादीगण के बुर्जुगान व मिन वादी संख्या 19, हल्का पटवारी के आश्वासन पर रहे और प्रभुदयाल व उमराव के मरने के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने हल्का पटवारी से मिली भगत कर तथा तत्कालीन हल्का पटवारी ने लापरवाही व लोकसेवक के कर्तव्यों की अवहेलना करते हुये मुताबिक बयनामा खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण हम वादीगण के बुर्जुगान व मिन वादी संख्या 19 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार नहीं किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम विरासत इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर दिया, जमाबन्दी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम का बेजा अमल आ गया। जो गलत अमल वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम का अमल आया हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को यह भली भांति जानकारी थी कि उनके पिता ने विवादित आराजी का विकय हम वादीगण के बुर्जुगान व मिन वादी संख्या 19 के पक्ष में किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम का अमल आया हुआ है। कानूनन तौर पर आराजी का विकय हो जाने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के कोई हक व अधिकार शेष नहीं बचे थे। वादीगण के बुर्जुग बलबीर की मृत्यु उपरान्त वादीगण संख्या 1 लगायत 13 को 1/4 भाग, अमरसिंह की मृत्यु के उपरान्त वादीगण संख्या 14 लगायत 16 का 1/4 भाग, हरलाल की मृत्यु के उपरान्त वादीगण संख्या 17 लगायत 18 का 1/4 भाग विरासत से प्राप्त हुआ है तथा मिन वादी संख्या 19 स्वयं का 1/4 भाग निहित है। वादीगण

हकूकों पर कुठाराघात होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के गलत अंकन कराया है, वह वादीगण के हकूकों तक बातिल वो बेअसर है, प्रारम्भ से ही शून्य है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे वादीगण, इसी कदर बातिल वो बेअसर व शून्य घोषित कराकर मुताबिक बयनामा, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम को हजफ कराकर विवादित आराजी के सम्पूर्ण भाग में वादीगण संख्या 1 लगायत 13 1/4 भाग में, वादीगण संख्या 14 लगायत 16 1/4 भाग में, वादीगण संख्या 17 व 18 1/4 भाग में तथा मिन वादी संख्या 19 1/4 भाग में स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 4, 6 लगायत 7 अनुपस्थित रहे। पैरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र सुखराम पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर, जवाहरलाल पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर, राजकरण पुत्र हरलाल जाति अहीर निवासी ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बयनामा दिनांक 19.03.1964 (प्रदर्श 1), हाल जमाबन्दी संवत् 2075–78 (प्रदर्श 2), नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 (प्रदर्श 3), नकल जमाबन्दी संवत् 2029 (प्रदर्श 4), नकल जमाबन्दी संवत् 2018 (प्रदर्श 5) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्जावेजों का गहन अध्यनन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बयनामा दिनांक 19.03.1964 के प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर को प्रतिवादीगण के पूर्वज बलबीर को 1/4 भाग, अमरसिंह को 1/4 भाग, हरलाल को 1/4 भाग व मिन वादी संख्या 19 सुखराम को 1/4 भाग का बेचान किया गया था। जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया है। मुताबिक बयनामा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम ढाकी तहसील तिजारा जिला अलवर पर प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर वादीगण संख्या 1 लगायत 13 को 1/4 भाग, वादीगण संख्या 14 लगायत 16 का 1/4 भाग, वादीगण संख्या 17 व 18 का 1/4 भाग तथा मिन वादी संख्या 19 का 1/4 भाग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)